



## चित्रकूट पुलिस



(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) के बारे में जानकारियां दी गईं।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एन्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदों/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलों को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 22.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रभारी कोतवाली कर्वी की उपस्थिति में थाना कोतवाली कर्वी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराते हुए फीड बैक प्राप्त करें एवं समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जमीन सम्बन्धित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(3). आज दिनांक 22.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद में कांवड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित किए जाने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सर्वप्रथम रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान रामघाट स्थित मंदाकिनी नदी एवं घाटों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष रूप से जायजा लिया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत घाटों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती एवं सतर्क निगरानी रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही श्रद्धालुओं के बढ़ते आवागमन को देखते हुए घाटों एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रद्धालुओं को निर्धारित एवं सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने, नदी के गहरे पानी की ओर न जाने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने हेतु लगातार जागरूक किए जाने के निर्देश दिए गए। इयूटी में लगे पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ इयूटी करने, श्रद्धालुओं के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखने तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 22.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना कोतवाली का निरीक्षण कर थाना परिसर एवं अभिलेखों की स्थिति, पुलिस व्यवस्थाओं तथा कानून-व्यवस्था से संबंधित कार्यों का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय, हवालात, मालखाना, बैरक, मेस, सीसीटीएनएस कार्यालय एवं परिसर का निरीक्षण किया गया। संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करते हुए उनके व्यवस्थित रख-रखाव एवं अभिलेखों को अद्यावधिक रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

(4). पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने पर आने वाले फरियादियों/पीड़ितों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए विवेचकों को विवेचनाओं का शीघ्र एवं निष्पक्ष निस्तारण करने तथा वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी एवं लंबित अभियोगों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाए जाने हेतु पुलिस गश्त, पिकेट एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग बढ़ाने तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

महिला एवं बाल अपराधों के प्रति विशेष सतर्कता बरतने, पीड़ितों के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार करने तथा महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर परिसर की कमियों को दूर करने, साफ सफाई कराने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों को पूर्ण अनुशासन, सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया।

(5). आज दिनांक 22.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद चित्रकूट के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों से जनपद में नागरिकों को होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में पूछा गया तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सुझाव लिये गये।

इस गोष्ठी में माननीय मऊ मानिकपुर विधायक श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री महेन्द्र कोटार्य, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव, कोआपरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल, उपस्थित रहे।

(6) आज दिनांक 22.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी के प्रारम्भ में सैनिक सम्मेलन आयोजित कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सैनिक सम्मेलन के उपरान्त पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर जनपद चित्रकूट में नियुक्त पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती करिश्मा गुप्ता, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात तथा उपनिरीक्षक श्री विवेक कुमार सिंह, थानाध्यक्ष बहिलपुरवा को उनके ऑपरेशनल/सेवा अभिलेख के आधार पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा प्रदान किए गए "प्रशंसा चिन्ह सिल्वर" एवं प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

इसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा गोष्ठी में उपस्थित समस्त थाना/चौकी एवं शाखा प्रभारियों के कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन किया गया तथा अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

**\*अपराध समीक्षा गोष्ठी में दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश\*—**

- (1).भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अपराधों की तीन वर्षीय तुलनात्मक मासिक/प्रगतिशील समीक्षा करते हुए लंबित अभियोगों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- (2).विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों की तीन वर्षीय तुलनात्मक समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (3).जनपद में संचालित प्रचलित अभियानों की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- (4).03 माह से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
- (5).पात्र अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने तथा नियमानुसार हिस्ट्रीशीट समाप्त/नष्ट करने की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (6).बड़ी संख्या में लंबित आरोप-पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट को माननीय न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर दाखिल करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए।
- (7).अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी एवं नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (8).हत्या, लूट, चोरी एवं नकबजनी के लंबित अभियोगों के अनावरण हेतु प्रभावी कार्रवाई एवं सघन प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
- (9).07 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अभियोगों में वांछित/शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
- (10).धारा 363, 366 भादवि0/धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित लंबित अभियोगों में बरामदगी एवं शेष कार्रवाई पूर्ण कर अभियोगों का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (11).एनसीआर एवं एफआईआर से संबंधित आरोप-पत्र/अंतिम रिपोर्ट को नियमानुसार समय से न्यायालय में दाखिल करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
- (12).आईटीएसएसओ पोर्टल पर प्रदर्शित लंबित अभियोगों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

(13).थाना स्तर पर लंबित चरित्र सत्यापन का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(14).दर्पण डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

(15).थानों पर लंबित माल मुकदमाती/माल निस्तारण की कार्रवाई नियमानुसार एवं शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(16).सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित पुलिस फार्म FAR, IAR एवं DAR को नियमानुसार समय से तैयार एवं प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

(17).क्राइम अगेंस्ट वुमेन पोर्टल पर लंबित विवेचनाओं का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(18).यक्ष पोर्टल पर अपराधियों का आपराधिक इतिहास, फोटो, फिंगरप्रिंट आदि आवश्यक अभिलेखों/विवरणों की फीडिंग समय से सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए।

(19).ई-साक्ष्य एवं ई-समन की तामीला/कार्रवाई को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने तथा संबंधित अभिलेखों को समय से अपडेट करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। साथ ही कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करने हेतु पूर्ण संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद ,क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्रीमती करिश्मा गुप्ता, क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक सोशल मीडिया/साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं समस्त थाना/चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहें।